


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर

नारायण लाल बनाम सज्जन सिंह वगै०

केस संख्या : विविध प्रा. पत्र 06/2021

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | विशेष विवरण |
|------------|---------------------------|--|
| 26 | 12.2022 | <p>पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी की प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस अभिवचन किया की बाद दिनांक 11.11.2010 को अदम हाजरी, अदम पैरवी व आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज कर दिया गया प्रार्थी ने जाहिर किया की वादी की दिनांक 24.09.2009 को मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पैरवी करने हेतु वादी व वादी के अधिवक्ता उपरिथत नहीं हो सके। अतः आदेश पुनर्विचार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियादी अधिनियम को स्वीकार कर वाद को पुनः बहाल किया जावे।</p> <p>हमने प्रा० पत्र व मूल दावे का अवलोकन किया मूल दावे के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी व 09R5 के तहत खारिज किया गया था। प्रार्थी/वादी ने लगभग 12 वर्ष बाद वाद को पुनः बहाल करने व मियाद में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पेश किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र व बहस में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अथवा कथन पेश नहीं किये जिससे की मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य हों। आदेश 9 नियम 5 जिसमें स्पष्ट लिखा है कि :-</p> <p>जहां समन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जावे और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से सात दिनों की अवधि तक, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद खारिज कर दिया जावे :-</p> <p>ऐसी दशा में वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा।</p> <p>उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी द्वारा इतने लम्बे अंतराल बाद पुनः वाद बहाल करने हेतु ठोस कारण अथवा सबूत पेश नहीं किये तथा वादी 09R5 में वाद खारिज होने पर केवल (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकता है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी/वादी का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार दाखिल उपर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर </p> |